न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-35/2023

राज्य

बनाम्

मां फुलेशरा भवानी गुड्स कैरियर

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 212/अप0शा0 दिनांक 03.02.2023 से राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बारियातु थाना काण्ड संख्या–08/2023 दिनांक–25.01.2023 से संबंधित है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि सहायक अवर निरीक्षक, मिथलेश कुमार सिंह, बारियातु थाना के टंकित आवेदन के आधार पर बारियातु थाना काण्ड संख्या–08/2023 दिनांक–25.01.2023 दर्ज किया गया। दिनांक 25.01.2023 को समय करीब 02:35 बजे वरीय पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली की ग्राम रहिया स्थित टोला–उपरकुरहा में एक अवैध कोयला लदा 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 लगी हुई है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी, बारियातु द्वारा सहायक अवर निरीक्षक, मिथलेश कुमार सिंह को आदेशित किया गया। सहायक अवर निरीक्षक, मिथलेश कुमार सिंह के द्वारा समय 02:55 बजे सशस्त्र बल के साथ ग्राम–रहिया उपरकुरहा में पहुंचने पर पाया गया कि विनोद गंझू, पे0–स्व0 कैल गंझू, सा0–रहिया उपरकुरहा टोला के घर के सामने एक कोयला लदा 407 ट्रक रजि0 नं0– JH01CY-5897 खड़ी है। विनोद गंझू को घर से उठाकर उक्त वाहन पर लदा कोयला के बारे में पुछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन में लदा कोयला अवैध है, जो पप्पू यादव, पे0–नागेश्वर यादव, सा0–रहिया, थाना–बारियातु,

जिला–लातेहार का है। पप्पू यादव, पे0–नागेश्वर यादव, सा0–रहिया, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार एवं नागेश्वर यादव पे0–स्व0 रामा महतो, सा0–रहिया थाना–बारियातु, जिला–लातेहार के द्वारा अवैध रूप से कोयला चोरी कर उक्त वाहन के चालक गुडन गंझू उर्फ मनोज गंझू, पे0–सुदा गंझू, सा0–रहिया का रहने वाला है के माध्यम से चतरा एवं गया तरफ ले जाकर बेचा जाता है और मेरे घर के सामने जंगल में उक्त वाहन को छिपाकर रखता है। 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 पर करीब 06 टन अवैध कोयला लोड पाया गया। तत्पश्चात् 407 ट्रक रजि0 नं0– JH01CY-5897 के केबिन में वाहन एवं कोयला से संबंधित कागजात का खोजबीन किया गया परन्तु उक्त ट्रक एवं कोयले से संबंधित कोई कागजात नहीं मिला। तत्पश्चात विधिवत जप्ती सूची तैयार कर 407 ट्रक रजि0 नं0– JH01CY-5897 एवं उसपर लदे करीब 06 टन अवैध कोयला सहित बारियातु थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। अनुसंधान के क्रम में काण्ड में जप्त 407 ट्रक रजि0 नं0– JH01CY-5897 के मालिक का नाम पता सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय से ज्ञात हुआ कि 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 के मालिक मां फुलेशरा भवानी गुड्स कैरियर पता–H.No.–GH/21 गयत्री नगर, सेक्टर–2 धूर्वा, रांची–834004 है। इस प्रकार से अवैध रूप से कोयला का व्यापार/परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध है। प्राथमिकी, घटनास्थल के निरीक्षण, वादी एवं साक्षियों का बयान, जप्ती सूची एवं अबतक के अनुसंधान से काण्ड में जप्त 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 के विरूद्ध मामला सत्य प्रतीत होता है।

विपक्षी माँ फुलेशरा भवानी गुडस कैरियर का कथन है कि वाहन टाटा 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 इंजन नं0–4SPCR11BRY606078 चेसीस नं0–MAT505269J8B03560 के पंजीयन स्वामी अजित कुमार है। उक्त वाहन मेरे घर के पास करीब–डेढ वर्षो से खड़ी है। उपरोक्त वाद में जप्त वाहन विपक्षी का नहीं है और उक्त वाहन से विपक्षी का कोई संबंध नहीं है।

विपक्षी के द्वारा लिखित उक्त जवाब के आलोक में पुलिस अधीक्षक, लातेहार से Verification Report प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1068/अप0शा0 दिनांक 15.05.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि

बारियातु थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया जप्त 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 का चेसीस नं0 का मिलान जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय, लातेहार के सत्यापित प्रति से किया गया, जो सही पाया गया।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9(i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत जप्त 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 में लदे कोयला का वैध कागजात/चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः 407 ट्रक रजि0 नं0–JH01CY-5897 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बारियातु थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.05.29 16:28:10 +05:30
Location: 10.93.47.5